फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

वादी–श्योराज

प्रतिवादी–तहसीलदार फागी

केस संख्या :54/2017

वाद बाबत घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरतृत रूप से	विशेष विवरण
	01.06.2018	**–:निर्णय:–** आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि खसरा नंबर 854, 930, 938, 939 कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 924, 925, 926, 933, 934, 936 कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 857, 858 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नंबर 846, 848, 851, 852, 853, 856, 859 कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा ग्राम पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम श्योराम दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत है जबकि वादी का सही नाम श्योराज है जो राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादी के पिता रामू की विरासत नामान्तकरण संख्या 351 दिनांक 12.06.1972 में दर्ज की गयी थी। तत्समय पटवारी हल्का को वादी का नाम श्योराम ही बताया गया होगा तदानुसार ही वादी का नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो सही है। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति राशनकार्ड, फोटोप्रति आधारकार्ड, फोटोप्रति ग्राम पंचायत पीपला प्रमाण पत्र दिनांक 02.06.2017, शपथ पत्र कालू, भूरा, मोहन इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फोटोप्रति राशनकार्ड, आधारकार्ड, फोटोप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पीपला एवं शपथ पत्रों के आधार पर यह साबित पाया जाता है कि वादी का सही व वास्तविक नाम श्योराज है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन पश्चात वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 854, 930, 938, 939 कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 924, 925, 926, 933, 934, 936 कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 857, 858 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नंबर 846, 848, 851, 852, 853, 856, 859 कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा ग्राम पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज श्योराम को हजफ किया जाकर इसके स्थान पर श्योराज दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पीपला में सुनाया गया।	

Scanned by CamScanner